चुनाव आयोग एवं इससे सम्बंधित हाल के मुद्दे एवं समस्याएं

UPSC प्रासंगिकता

- **प्रिलिम्स:** ईसीआई से संबंधित अनुच्छेद → अनुच्छेद 324 से 329, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान, **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951**→ चुनावों का संचालन, अयोग्यता, चुनाव विवाद।
- **GS पेपर 2 (राजनीति और शासन):**
  - चुनाव आयोग: शक्तियाँ, कार्य, सीमाएँ
  - चुनाव सुधार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता
  - अनुच्छेद 324 और बुनियादी संरचना सिद्धांत
  - ईसीआई की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा

- **निबंध पेपर:**
  - "लोकतंत्र की विश्वसनीयता उसके चुनावों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है।"

समाचार में क्यों?

- अगस्त 2025 में दो प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस ने **भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई)** को प्रमुख चर्चा का विषय बना दिया है।
- **7 अगस्त को**, राहुल गांधी (लोकसभा नेता विपक्ष) ने **बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र** में 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कुछ मतदाताओं के एक ही पते पर होने, पिता के नाम में "xyz" जैसी गलत जानकारी और घर नंबर "0" जैसी अजीब बातें दिखाकर इसका प्रमाण पेश किया।
- **17 अगस्त को**, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से या तो तथ्यों के साथ शपथ पत्र दाखिल करने या फिर पूरे देश से माफी मांगने को कहा। यह असामान्य प्रतिक्रिया **ईसीआई की निष्पक्षता** और **चुनाव रजिस्टरों की विश्वसनीयता** पर सवाल उठा रही है।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

पृष्ठभूमि: चुनाव आयोग की भूमिका

- भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक संस्था है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है।
- इसे संसद, राज्य विधानसभाओं, और राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है।
- इसका मुख्य उद्देश्य मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा माना है। न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सही है की अनुच्छेद 324 ईसीआई को व्यापक

शक्तियाँ प्रदान करता है, पर ये शक्तियाँ संविधान और मौजूदा कानूनों के अनुसार ही प्रयोग की जानी चाहिए, ताकि मनमानी या अत्यधिक उपयोग को रोका जा सके।

आरोप: मतदाता सूची में हेराफेरी

- हाल ही में विपक्ष (राहुल गांधी की टीम) ने चुनावी सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाया, यह बताते हुए कि लगभग **80 मतदाता** एक ही पते पर पंजीकृत थे — जो चुनावी मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है।
- कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में तभी शामिल किया जा सकता है यदि वह उस पते का **"साधारण निवासी"** हो, यानी वह स्थायी रूप से वहां रहता हो।
- नामों का गलत तरीके से शामिल होना **जाली मतदान के लिए अवसर उत्पन्न करता** है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में **सार्वजनिक विश्वास** को कमजोर करता है।

समस्या

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,** 1950 स्पष्ट रूप से चुनावी सूची की तैयारी और संशोधन की प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है, जो आमतौर पर वार्षिक रूप से या चुनावों से पहले की जाती हैं। हालांकि, चुनाव के बाद, मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों की जांच करने या उन्हें सही करने के लिए कोई **मजबूत कानूनी तंत्र** नहीं है।
- यह **खामी** चुनावों के बाद उठाए गए शिकायतों को हल करना मुश्किल बना देती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की **विश्वसनीयता** पर सवाल उठते हैं।

बिहार मामला: विशेष गहन संशोधन (SIR)

- आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, बिहार ने मतदाता सूची का **विशेष गहन संशोधन (SIR)** किया।
  हालांकि, "SIR" शब्द का कानूनी आधार नहीं है। पर **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,** 1950 के तहत केवल दो प्रकार के संशोधन को मान्यता प्राप्त हैं:
  - **गहन संशोधन**
  - **विशेष संशोधन**

कानूनी असमानताएँ

- **गहन संशोधन** के लिए अधिकारियों को **प्रत्येक घर** का दौरा करना और एक नई सूची तैयार करनी होती है (**रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स,** 1960 के**नियम** 8)। पूरे राज्य में एक महीने के भीतर इतना बड़ा कार्य करना व्यवहारिक रूप से असंभव था।

परिणाम

- इस गलत प्रक्रिया के कारण लगभग **65 लाख मतदाताओं** के नाम हटा दिए गए, जिससे व्यापक अराजकता फैल गई।
- सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, और **ईसीआई** को निर्देश दिया कि वह हटा दिए गए नामों और उनके हटाने के कारणों को प्रकाशित करे, ताकि प्रक्रिया में **ज्यादा पारदर्शिता** और **जवाबदेही** सुनिश्चित हो सके।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

ईसीआई की शक्तियों की सीमाएँ

- भारत में **चुनाव आयोग (ईसीआई)** एक शक्तिशाली संवैधानिक प्राधिकरण है, लेकिन यह संविधान या कानून से ऊपर नहीं है। भारत में कोई भी संस्था **पूर्ण या अनियंत्रित शक्तियाँ** नहीं रखती।
- A.C. Jose vs. Sivan Pillai (1984) के ऐतिहासिक मामले में न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली ने चेतावनी दी थी कि **अगर ईसीआई को असीमित अधिकार दिए गए**, तो यह खतरनाक हो सकता है। अगर आयोग पक्षपाती या मनमानी तरीके से काम करता है, तो यह **राजनीतिक अराजकता** पैदा कर सकता है और **लोकतंत्र** के लिए सीधा खतरा बन सकता है।
- इसलिए,ईसीआई को अनुच्छेद 324 के तहत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त तो हैं, पर उसे हमेशा:
  - **संविधान और कानून की सीमाओं** के भीतर काम करना चाहिए,
  - **राजनीतिक तटस्थता** बनाए रखनी चाहिए, और
  - **राजनीतिक दलों के साथ अनावश्यक टकरावों** से बचना चाहिए।
- मुख्यत: चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का कड़े तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा **कानून और निष्पक्षता की सीमाओं** के भीतर।

मुख्य मुद्दे

- **चुनावी सूची में विश्वास:** हेराफेरी या बड़े पैमाने पर नामों की हटाई के आरोप चुनावों पर सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करते हैं, जो लोकतंत्र की नींव को ही खतरे में डालते हैं।
- **ईसीआई की निष्पक्षता:** जब चुनाव आयोग राजनीतिक बहसों में शामिल होता है या पक्षपाती दिखाई देता है, तो यह अपनी **निष्पक्ष संवैधानिक संस्था** के रूप में अपनी विश्वसनीयता खोने का जोखिम उठाता है।
- **कानूनी खामियाँ:** **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,** 1950 में चुनावी सूची से संबंधित **चुनाव बाद शिकायतों** को निपटाने के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं है, जिससे **जवाबदेही में खामियाँ** आती हैं।
- **न्यायिक निगरानी:** अदालतों को अक्सर अनियमितताओं को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है, जो **न्यायिक जांच** के महत्व और ईसीआई की संस्थागत कमजोरियों को उजागर करता है।

आगे का रास्ता

चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को मजबूत करने और सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने के लिए, कुछ संस्थागत और कानूनी सुधारों की तत्काल आवश्यकता है:

- **बेहतर मतदाता सूची प्रबंधन:** **आधार-लिंक्ड सत्यापन** और **डिजिटल प्रौद्योगिकियों** का उपयोग करें, ताकि **नकली या डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ** हटाई जा सकें, और साथ ही **सुरक्षित गोपनीयता उपायों** को सुनिश्चित किया जा सके।

- **ईसीआई नियुक्तियों में सुधार:** चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए **कोलेजियम प्रणाली** अपनाएं (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की है), ताकि **स्वतंत्रता और पारदर्शिता** को बढ़ावा मिल सके।
- **चुनाव कानूनों को अपडेट करें:** **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,** 1950 में संशोधन करें, ताकि **चुनाव बाद शिकायतों** के लिए एक तंत्र प्रदान किया जा सके, जो वर्तमान कानूनी **रिक्तता**को भर सके।
- **ज्यादा पारदर्शिता:** चुनाव आयोग को **मतदाता हटाने के कारणों** को प्रकाशित करने, सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस बनाए रखने और नागरिकों को **चुनाव सूची का ऑडिट** करने के लिए प्रोत्साहित करने का आदेश दें।
- **निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करें:** चुनाव आयोग को **निष्पक्ष मध्यस्थ** के रूप में काम करना चाहिए, **राजनीतिक विवादों** से बचते हुए और केवल **मुक्त और निष्पक्ष चुनाव** सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

  इन सुधारों को लागू करने से चुनाव प्रक्रिया को **अधिक समावेशी, पारदर्शी और विश्वसनीय** बनाया जा सकेगा, और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखा जा सकेगा।

निष्कर्ष

चुनाव आयोग लोकतंत्र का रक्षक है, लेकिन इसकी सत्ता संविधान और कानून द्वारा सीमित है। अगर यह धमकी देने या राजनीतिक झगड़ों में शामिल होता है, तो यह सार्वजनिक विश्वास खोने का जोखिम उठाता है। इसका ध्यान **स्वच्छ मतदाता सूची, निष्पक्ष प्रक्रियाएँ,** और **निष्पक्षता** पर होना चाहिए। तभी भारत के चुनाव **सचमुच मुक्त और निष्पक्ष** रह सकते हैं, और लोकतंत्र मजबूत बना रह सकता है।

UPSC प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

1. चुनाव आयोग (ECI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ECI एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित की गई है।
2. आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसा कि संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है।
3. ECI संसद, राज्य विधानसभाओं, और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के संचालन का जिम्मेदार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3

उत्तर:B) केवल 1 और 3

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का प्रावधान है। चुनाव आयुक्तों की संख्या **राष्ट्रपति** कानून द्वारा निर्धारित करते हैं, जो संविधान में तय नहीं है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?

1. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के लिए कार्यकाल की सुरक्षा।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होती है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते भारत के संचित कोष से भुगतान किए जाते हैं।

सही उत्तर के लिए नीचे दिए गए कोड का चयन करें:

A) केवल 1 और 2

B) केवल 2 और 3

C) केवल 1 और 3

D) 1, 2 और 3

IAS-PCS Institute

उत्तर:D) 1, 2 और 3

व्याख्या:

संविधान के तहत **तीनों** ही सुरक्षा उपाय चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दिए गए हैं।

1. **मुख्य चुनाव आयुक्त** के लिए कार्यकाल की सुरक्षा,
2. मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह की जाती है,
3. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते **भारत के संचित कोष** से आते हैं।

UPSC मेन्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "संविधान और **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** चुनाव आयोग (ECI) के लिए सुरक्षा घेरा के रूप में काम करते हैं, जो इसकी स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।" इस संवैधानिक सुरक्षा घेरा के महत्व, चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्षता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों, और भारत के चुनावी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा करें। (250 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी